

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का0 रितेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के एस0टी0नं0 487/14 धारा 302, 201,120बी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी 01 अभियुक्त दिनेश पुत्र शिवमूरत निवासी ईशीपुर थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिनेश पुत्र शिवमूरत निवासी ईशीपुर थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह का0 रितेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 210 अवैध गांजा व गांजा विक्री के 450 रुपये के साथ 01 अभियुक्त सुभाष यादव को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त पटेल नगर बायपास पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के चौकी प्रभारी सिटी उ0नि0 अतुल तिवारी मय का0 कमलेश यादव कांस्टेबल धनज्जय सिंह महिला आरक्षी रूबी यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत पटेल नगर बायपास पुल के नीचे से 01 अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी बेलखरान बढनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 28 वर्ष के कब्जे से कुल 210 ग्राम अवैध गांजा व गांजा विक्री के 450 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 210 ग्राम अवैध गांजा व गांजा विक्री के 450 रुपये की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 356/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुभाष यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी बेलखरान बढनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 28 वर्ष ।

बरामदगी- कुल 210 ग्राम अवैध गांजा व गांजा विक्री के 450 रुपये बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

चौकी प्रभारी सिटी उ0नि0 अतुल तिवारी मय का0 कमलेश यादव कांस्टेबल धनज्जय सिंह महिला आरक्षी रूबी यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद मोटर साइकिल स्प्लेण्डर के साथ 01 अभियुक्त सुरेश उर्फ पप्पू को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त राम कोला पुल ग्राम उमरापट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमति करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह का0 सौरभ शर्मा मय का0 सचिन ठेनुआ द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत राम कोला पुल ग्राम उमरापट्टी के पास से 01 अभियुक्त सुरेश उर्फ पप्पू पुत्र राम दुलारे उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद मोटर साइकिल स्प्लेण्डर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा की बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 282/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुरेश उर्फ पप्पू पुत्र राम दुलारे उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद मोटर साइकिल स्प्लेण्डर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह का0 सौरभ शर्मा मय का0 सचिन ठेनुआ थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ०नि० प्रभात वर्मा मय हमराह का० विनोद कुमार व का० हरिपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस०सी/एस०टी एक्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी NBW वारंट के केश न० 254/2016 व मु०अ०सं० 199/2015 धारा 363/366/376/504/506 भादवि एवं 3 (1) 10 SC/ST एक्ट थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त रोहित यादव पुत्र अशोक कुमारनि० ग्राम जमुआ थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रोहित यादव पुत्र अशोक कुमारनि० ग्राम जमुआ थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० प्रभात वर्मा मय हमराह का० विनोद कुमार व का० हरिपाल थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत कटैया चौराहा ग्रामीण बैंक के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह हे का० अमित कुमार

द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, कटैया चौराहा ग्रामीण बैंक के पास से 01 अभियुक्त लल्ले उर्फ हीरालाल पुत्र स्व० रामनाथ नि० ग्राम बहुचरा थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु.अ.स. 338/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के उ०नि० मतगंजन मिश्रा मय म०उ०नि० दिव्या सिंह मय हमराह हे का सुरेश सिंह, का० बौध्दप्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के अपर सीविल जज (जे०डी०) कोर्ट नं० 31 प्रतापगढ़, क्रि०कैश /1484/2015 राज्य बनाम पिन्टू कोतवाली सिटी/386/2013 मु०अ०सं० 386/2013 धारा 457/380/411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. उमेश कुमार पुत्र राम मनोहर नि०ग्रा० आधारपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष, 02. अनिल पुत्र बाबूलाल नि०ग्रा० आधारपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. उमेश कुमार पुत्र राम मनोहर नि०ग्रा० आधारपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

02. अनिल पुत्र बाबूलाल नि०ग्रा० आधारपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० मतगंजन मिश्रा मय म०उ०नि० दिव्या सिंह मय हमराह हे का सुरेश सिंह, का० बौध्दप्रकाश थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त देवानन्द को किया गया गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत डगमगबीर बाबा नरायनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 अरूण कुमार मौर्या मय हमराह हे0का0 लक्ष्मण यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2)पास्को एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त देवानन्द पुत्र स्व० जिवधन उम्र करीब 30 वर्ष नि० ग्राम खोरिया अतरसण्ड थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत डगमगबीर बाबा नरायनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. देवानन्द पुत्र स्व० जिवधन उम्र करीब 30 वर्ष नि० ग्राम खोरिया अतरसण्ड थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरूण कुमार मौर्या मय हमराह हे0का0 लक्ष्मण यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

हत्या, हत्या का प्रयास व एससी/ एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, प्रदीप यादव व मोनू सरोज को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनपुरशूर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी व एक अदद लाठी बरामद

इससे पूर्व उक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जायेगी-

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 07.12.2025 की शाम वादी व वादी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा हॉकी व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। जिसके संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 231/2025 धारा 191 (2)/190/191 (3)/115(2) 109 (1)/131/352/351 (3) BNS व 3 (1) /3 (1)ध/3 (2)V/3(2) VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ बनाम 08 नामजद एवं 4-5 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। घायल वादी को सीएचसी सांगीपुर से लखनऊ रेफर किया गया, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोग उपरोक्त में धारा 103(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय का रोहित कुमार मय म030नि0 स्वाति वर्मा मय हमराह हे का० कमलाशंकर दुबे, का० कुलदीप पाल, का० अभिषेक मिश्रा व म0का0 श्वेता दीक्षित द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 231/2025 धारा 103(2)/191 (2)/190/191 (3)/115(2) 109 (1)/131/352/351 (3) BNS व 3 (1) /3 (1)ध/3 (2)V/3(2) VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. प्रदीप यादव पुत्र स्व० छोटेलाल यादव निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, 02. मोनू सरोज पुत्र स्व० छेदीलाल सरोज निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी व एक अदद लाठी के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनपुरशूर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियोग में इससे पूर्व में,

दिनांक 16.12.2025 को 01 अभियुक्त शनि कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामेश्वर विश्वकर्मा निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद हाकी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 10.12.2025 को 01 अभियुक्त रामकिशुन सरोज पुत्र रामदेव सरोज निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. प्रदीप यादव पुत्र स्व० छोटेलाल यादव निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

02. मोनू सरोज पुत्र स्व० छेदीलाल सरोज निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी व एक अदद लाठी बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय का रोहित कुमार मय म030नि0 स्वाति वर्मा मय हमराह हे का० कमलाशंकर दुबे, का० कुलदीप पाल, का० अभिषेक मिश्रा व म0का0 श्वेता दीक्षित थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 17.12.2025

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

विधि का उल्लंघन करने वाले 02 बाल अपचारी को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बीद से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक कुमार सिरौही मय हमराह का0 अभिषेक यादव, का० संजय चौहान, का0 पंकज चौहान, चालक हे0 का0 राजेश सिंह द्वारा देखाभाल क्षेत्र, वांछित/संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर विधि का उल्लंघन करने वाले 02 बाल अपचारी को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बीद से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक कुमार सिरौही मय हमराह का0 अभिषेक यादव, का० संजय चौहान, का0 पंकज चौहान, चालक हे0 का0 राजेश सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।